प्रेस विज्ञप्ति
20.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर की इमारतों के निर्माण के लिए कथित अवैध भूमि अधिग्रहण और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित चल रही धन-शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19.08.2026 को रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे अपराध, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध भी हैं, के आरोप में पुलिस थाना, अज़ीम नगर, रामपुर में दर्ज 26 एफआईआर व पुलिस कोतवाली, रामपुर में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर व विधि प्रवर्तक एजेंसियों की जांच के अनुसार, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर पर आरोप है कि उसने अपने कुलाधिपति मोहम्मद आज़म खान व अन्य के माध्यम से किसानों की ज़मीन और भारत सरकार की 'एनिमी प्रॉपर्टी' (दुश्मन संपत्ति) को गैर-कानूनी तरीके से हासिल किया।

ईडी अपराध की आय की उत्पत्ति, छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण और उपयोग से संबंधित संपूर्ण मनी ट्रेल, जिसमें विश्वविद्यालय के लिए बनाई गई संपत्तियां भी शामिल हैं, की जांच कर रही है।

तलाशी के दौरान, अपराध-संकेती दस्तावेज़, न्यास द्वारा कथित तौर पर प्राप्त फर्जी दान से जुड़े अभिलेखों और जांच से संबंधित डिजिटल अभिलेखों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ज़ब्त किया गया है।

आगे की जांच जारी है।